

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005/6 के तहत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान की जायें।

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय सैदामिनी, प्लाट नं 2, सेक्टर 29, गुडगांव हरियाणा 122007.

25/1/3

26/1/3
(CL)

b/1st 3 → DM(CP)

आवेदक का नाम	संजय सिंह मो 09305131356
पूरा पता	N1/65C-1E, Shiv Prasad Gupt Nagar colony Samneghat, Lanka Varanasi 221005.
मांग की गयी सूचना	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005/6 के तहत निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की जायें।</p> <ol style="list-style-type: none">महोदय पॉवर लाईन से कितनी दूरी पर घर या आवास बनाया जा सकता है।क्या पॉवर लाईन से कोई रेडिएशन निकलता है जो जान माल या इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए हानिकारक है।आपके यहां से कितने - कितने बोल्ट का या पॉवर का ट्रान्समिशन किया जाता है।सबसे कम बोल्ट के पॉवर लाईन क्या किसी बरस्ती, गॉव के पास से जा सकती है या लाईन से कितनी दूरी छोड़ कर आवास बनाया जा सकता है।टावर लगाते समय तो जमीन के मालिक को कुछ पैसे समायोजन के लिये दिये जाते हैं पर क्या उस भूमि जहां से तार गये हैं क्या वहां आवासीय घर या प्लाट खरीदा जा सकता है और क्या उस पर भी पैसे पॉवर ग्रिड द्वारा समायोजनके लिये दिये जाते हैं।अगर भविष्य में कोई दुर्घटना टावर अथवा तार से होती है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है और उसका मुवाबजा किसके द्वारा देय होगा।

मैंने रु 20.00 (बीस रुपये) का भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) संख्या 25G 081265 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के नाम से संलग्न किया है।

स्थान : वाराणसी

भवदीय

तिथि : 04.02.2017.


(संजय सिंह)